-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 26500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में **अलग-अलग 03 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 26500/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना चिल्ला पर पंजीकृत अभियोग- 448/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त धर्मराज सिंह पुत्र शिववरन निवासी कस्बा व थाना चिल्ला जनपद बांदा को 06 माह के कारावास व **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 77/2000 धारा 452/323/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1-लइक पुत्र अनवर, 2-बउवा पुत्र अनवर व 3-लाला पुत्र मुन्नी निवासीगण अलीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल **4500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 460/2004 धारा 354 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-मुस्ताख खां पुत्र जन्मू खां, 2-मुस्लमान को कुल **20000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।